जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2807

दिनांक : 4-2-16

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार श्री रामनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सिथौली, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.सी.ए., बी.एस-सी. (आ.पा., रसायन, प्राणिकी, वनस्पति, अतिरिक्त विषय-बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायलॉजी), पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय शपथ-पत्र द्वारा यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न पाठ्यक्रम पृथक भवन में संचालित है।
2. शिक्षकों एंव स्टाफ का वेतन बैंक के माध्यक से भुगतान किया जाये।
3. पी.जी.डी.सी.ए., बी.सी.ए. एंव बी.एस-सी. की मानक स्तर की पुस्तकें 100 शीर्षक पाठ्यकमानुसार क्रय किया जाये।
4. प्रयोगशाला मय उपकरण के सुसज्जित है।
5. खेल मैदान विकसित किया जाए एंव खेल सामग्री क्रय की जाये।
6. शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नामित हो एंव सत्र में तीन बैठकें के विवरण संलग्न हो।
7. परिनियम 27, 28 का पूर्ण रूपेण पालन सुनिश्चित किया जाये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री रामनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सिथौली, ग्वालियर।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्